रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265500
CG-DL-E-19082025-265500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3658] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947
No. 3658] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3751(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त उद्योगों को, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 815(अ), तारीख 14 फ़रवरी, 2025 द्वारा तारीख 17 फ़रवरी, 2025 से छह मास तक की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया है; और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार अपेक्षितहै;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार की, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि लोक हित में विस्तार किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचना संख्या का. आ. 815 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2025 में विनिर्दिष्ट अवधि को ,17 अगस्त, 2025 से छह मास और अवधि के लिए विस्तारित करती है, जिसके दौरान उक्त उद्योगो में लगी हुई सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी।

[फा. सं. एस-11017/01/2024 –आई.आर(पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2025

S.O. 3751(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of industries engaged in the Iron and Steel, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And Whereas, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 17th February, 2025, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 815(E), dated the 14th February, 2025;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service, status to the said industry for a further period of six months;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O.815(E), dated the 14th February, 2025 for a further period of six month from the 17th August, 2025 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/01/2024 -IR (PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.19 11:27:06 +05'30'